

राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग


क्रमांक प.1(6)न्याय/2019

जयपुर दिनांक 4.2.2020

अधिसूचना

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (सन् 1988 के केन्द्रीय अधिनियम संख्या-49) की धारा 4(2) सपठित धारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, अधिसूचना क्रमांक प.2(4) न्याय/ 96 दिनांक 3.12.1996 द्वारा सृजित एवं स्थापित विशिष्ठ न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर का नाम परिवर्तित करते हुए विशिष्ठ न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, संख्या 1, उदयपुर निर्धारित करती है।

राज्यपाल के आदेश से


4.2.2020

(विनोद कुमार भारवानी)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार ।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री, राजस्थान सरकार,।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच, जयपुर ।
7. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. जिला कलेक्टर /जिला एवं सेशन न्यायाधीश /पुलिस अधीक्षक, उदयपुर ।
9. महानिदेशक, आरक्षी/ जेल, राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. निदेशक, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. प्रोग्रामर, विधि विभाग को ई-गजट में प्रकाशन के लिये ऑनलाईन प्रेषित करने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली ।


4.2.2020

(मधुसूदन शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव